न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 82/2019

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. धनराज पुत्र हनुमानराम जाति माली निवासी सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)	1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली।	

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश दवे एवं सुश्री सोनल बोहरा अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 28.11.2019

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक 1 तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में वर्तमान खसरा नम्बर 2014 रकबा 0.1400 हैक्टर की भूमि प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई बाबुलाल व अन्य सह खातेदारान मदनलाल की खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उपवरोक्त आराजीयत की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस भूमि पर प्रार्थी 1/4 हक हिस्सा उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना प्रार्थी के सही व वास्तविक नाम के दस्तावेज का अवलोकन किये व सदभाविक भूलवश प्रार्थी के दस्तावेजी व सही वास्तविक नाम दर्ज नही कर बचपन का नाम कुकाराम दर्ज कर दिया गया तथा वक्त इन्द्राज प्रार्थी नाबालिग था। इसलिये राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता अनपढ एवं निरक्षर होने से प्रार्थी के वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम इन्द्राज न होकर कुकाराम दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक दस्तावेजी नाम धनराज ही है तथा प्रार्थी को गांव परिवार समाज में धनराज से भी जाना पहचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम धनराज ही दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम धनराज ही है अर्थात् वादस्थ कृषि भूमि में कुकाराम, धनराज प्रार्थी ही है तथा प्रार्थी को धनराज के नाम से ही सम्बोधित किया जा रहा है। बल्कि प्रार्थी के पिता हनुमानराम के सह खातेदार बाबुलाल व प्रार्थी के अलावा अन्य कोई इसी नाम का अन्य कोई पुत्र या वारिस नही है। कुकाराम एवं धनराज पुत्र हनुमानराम का एकमात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है। इसके अलावा अन्य कोई परिवार में व्यक्ति नही है। राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रार्थी का नाम धनराज के स्थान पर कुकाराम दर्ज करने की जानकारी पूर्व से नही थी, प्रार्थी अनपढ, निरक्षर होने से तथा राजस्व रेकर्ड की जानकारी

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

नही होने उक्त त्रुटि के सम्बन्ध में जानकारी पूर्व में नही हो पायी। अभी वर्तमान में दिनांक 19.08.2019 को प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने से सम्बन्धित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु कहा, जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में धनराज दर्ज न होकर कुकाराम नाम दर्ज होने की जानकारी दी। जिस पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम धनराज दर्ज न कर कुकाराम पैन ऑफ मिस्टेक, सदभाविक त्रुटि से दर्ज कर दिया गया, जो गलत है। जिसे प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी का नाम धनराज के स्थान पर कुकाराम दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभों से वंचित होना पड़ रहा हैं। इसलिए वादग्रस्त कृषि भूमि के वर्तमान खसरा संख्या 2014 में प्रार्थी का नाम कुकाराम के स्थान पर धनराज दर्ज कर दिया आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती के सम्बन्ध में प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सोजत के कार्यालय में भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरूस्ती न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार का होने से दुरूस्त नहीं किया गया। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने उक्त आशय का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक 1 के खसरा नम्बर 2014 रकबा 0.1400 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम कुकाराम के स्थान पर धनराज के नाम से शुद्धि किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र दिनांक 01.10.2019 को पेश कर प्रा0 पत्र में वर्णित बिन्दु 1 के तथ्यों को स्वीकार कर, 2 से 4 को प्रार्थी स्वयं द्वारा सिद्ध किये जाने तथा 5 व 6 बिन्दु कानूनी व न्यायिक प्रक्रिया का होना अंकित कर प्रा0 पत्र मय हर्जे के खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में सहखातेदार बाबुलाल पुत्र हनुमानराम माली, निवासी सोजतसिटी, सुखी देवी पत्नी हनुमानराम माली, निवासी सोजतसिटी, मदनलाल पुत्र डावरराम माली, निवासी सोजतसिटी का तस्दीक सुदा शपथ पत्र अधिवक्ता प्रार्थी ने आधार कार्ड संख्या 780788624548, मतदाता सूचना पत्र निर्वाचन आयोग पहचान पत्र बी0आर0वी0/1331099 दिनांक 24.02.2001, राशन कार्ड संख्या 113200100343, बैंक पासबुक संख्या 61335141437, पेन कार्ड संख्या FLFPD4891H तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय नम्बर 4 सोजत सिटी द्वारा जारी स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां पेश की सो0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2014 रकबा 0.1400

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज कुकाराम पुत्र हनुमानराम जाति माली के स्थान पर सही व वास्तविक रूप से धनराज पुत्र हनुमानराम, जाति माली, सा0 सोजत चक 1 दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत सहखातेदारान मदनलाल व बाबूलाल के तस्दीक सुदा शपथ पत्रों मय उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा–सोजत चक 1 तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2014 रकबा 0.1400 हैक्टर चाही प्रथम की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम कुकाराम पुत्र हनुमानराम जाति माली के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से धनराज पुत्र हनुमानराम, जाति माली, सा0 सोजत सिटी दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा–सोजत चक 1 तह0 सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2014 रकबा 0.1400 हैक्टर चाही प्रथम के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का गलत रूप से दर्ज नाम कुकाराम पुत्र हनुमानराम, जाति माली के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से धनराज पुत्र हनुमानराम, जाति माली, सा0 सोजत सिटी दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner